भारतीय न्यायिक प्रणाली

सर्वोच्च न्यायलय

- संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान का प्रावधान है।
- वर्तमान में 32 न्यायाधीश (भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित) हैं और अधिकतम संभावित संख्या 34 है।
- सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाती है।
- सुप्रीम कोर्ट के नियम, 2013 ने 1966 के नियमों की जगह लेते हुए, संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अभ्यास और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए तैयार किया गया है
- सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। (अनुच्छेद 124 (1 और 2))
- भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है जिसे वह उचित समझता है.

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता:

- भारत का नागरिक
- कम से कम 5 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं
- कम से कम 10 साल के लिए उत्तराधिकार में एक उच्च न्यायालय, या दो या अधिक अदालतों के अधिवक्ता रहे हैं (अनुच्छेद 124 (3))
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु या कार्यालय की निर्धारित अवधि निर्धारित नहीं है.

सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश ऐसा होना बंद कर देता है:

- 65 वर्ष की आयु को बनाए रखना;
- राष्ट्रपति को संबोधित लिखित में इस्तीफा;
- राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर।
- ऐसे निष्कासन के लिए एकमात्र आधार दुर्व्यवहार और अक्षमता साबित होते हैं (सन्दर्भ.: अनुच्छेद 124(4)).

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने या महाभियोग चलाने की प्रक्रिया:

- लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित राष्ट्रपति को संबोधित एक प्रस्ताव स्पीकर या अध्यक्ष को दिया जाता है.
- इस प्रस्ताव की जांच 3 (सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों और एक प्रतिष्ठित न्यायविद) ने की है।
- यदि समिति न्यायाधीश को दोषी मानती है, तो समिति की रिपोर्ट उस सदन में विचार की जाती है जहाँ प्रस्ताव लंबित है।

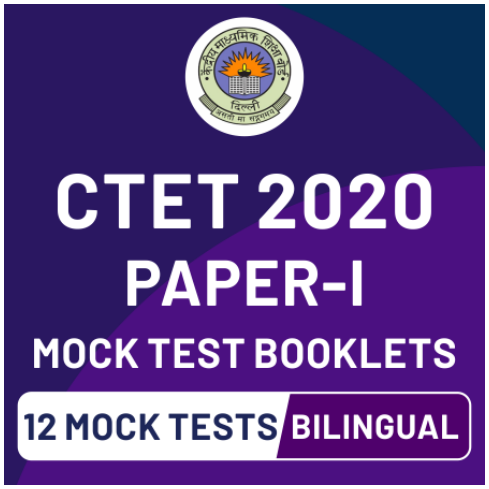

- यदि सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और प्रत्येक सदस्य के दो तिहाई से कम सदस्यों द्वारा बहुमत में प्रस्ताव पारित किया जाता है।
- राष्ट्रपति को इस तरह के पते पर हटाने का आदेश देने के बाद न्यायाधीश को हटा दिया जाता है।
- सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में या भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी प्राधिकारी के समक्ष याचिका या कार्रवाई नहीं कर सकते हैं (सन्दर्भ.: अनुच्छेद 124(7)).

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार तीन गुना है:

1. मूल
2. अपीलीय
3. सलाह. संघ के विभिन्न राज्यों के बीच या संघ और किसी भी राज्य के बीच विवाद **सर्वोच्च** न्यायालय के अनन्य मूल क्षेत्राधिकार के भीतर हैं (सन्दर्भ.: अनुच्छेद 131)

- सर्वोच्च न्यायालय भारत का उच्चतम न्यायालय है।
- सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या के लिए सर्वोच्च अधिकार है।
- सर्वोच्च न्यायालय किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण (एक सैन्य न्यायाधिकरण को छोड़कर) द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के निर्णय या आदेश के खिलाफ विशेष अवकाश देने की अपील सुन सकता है।
- सलाहकार क्षेत्राधिकार के तहत, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा कानून के किसी भी मामले या सार्वजनिक महत्व के तथ्य पर अपनी राय दे सकता है।. (सन्दर्भ.: अनुच्छेद 143).

उच्च न्यायालय

- उच्च न्यायालय राज्य में न्यायपालिका का प्रमुख है।
- भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं।
- छह उच्च न्यायालयों (इलाहाबाद, बॉम्बे, गौहाटी, मध्य प्रदेश, मद्रास और राजस्थान) में 11 स्थायी बेंच हैं।
- केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय में धारवाड़ और गुलबर्गा में दो सर्किट बेंच हैं।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकते हैं.
- भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है.

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश **अपना पद छोड़ सकते हैं:**

- लिखित रूप में राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने या राष्ट्रपति द्वारा किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने से।
- राष्ट्रपति द्वारा हटाकर।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की हटाने की संरचना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है.

TEST SERIES
Bilingual
UP B.Ed JEE
Online Test Series
(SCIENCE STREAM)
5 Full Length Mocks

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता:

- भारत के नागरिक बनें।
- 62 वर्ष से अधिक नहीं।
- भारत में न्यायिक कार्यालय में या उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में या भारत में उत्तराधिकार में दो या दो से अधिक न्यायालयों का अनुभव होना चाहिए।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य के समेकित कोष [कला (202) (3) (डी)] पर लगाए जाते हैं।
- सेवानिवृत्ति के बाद उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर, जिसमें उन्होंने काम नहीं किया है, को छोड़कर या भारत के किसी भी प्राधिकरण के समक्ष याचिका या कार्य नहीं कर सकते।

TEST SERIES
Bilingual
CG TET
PAPER II
(MATHS & SCIENCE)
5 Full Length Mocks

TEACHERS
adda247